

ज्ञापांक :- 568

दिनांक :- 4/4/2016

फारम-VII-क

कार्यलय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 31 तिथि- 23.12.2015 के संदर्भ में

श्रीमती/श्री अरूण कुमार सिंह, पिता-स्व0 श्री निवास सिंह, पता-दुसरा तल्ला, एस0बी0आई0 ब्रॉच, सगुना मोड़, बेली रोड, मंगलम कॉलोनी, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) भवन के पुनःनिर्माण
- (ग) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (घ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के प्लॉट नं0- 03 (P), खाता नं0- 44, तौजी नं0- बिहार सरकार, थाना नं0- 35, वार्ड नं0- 11 मौजा- बबकरपुर, पता- आर0के0 पूरम, सगुना मोड़, दानापुर, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-01/16-17 है, की स्वीकृति दी जाती है:-

- (1) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (2) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (3) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 478.30 वर्ग मीटर का पार्किंग एवं ग्रीन एरिया 5% वर्ग मीटर ग्रीन एरिया का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (4) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.14 मी0 चौड़ाई के वर्तमान पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (5) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (6) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों